



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082025-265459
CG-DL-E-18082025-265459

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3673]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 2025/श्रावण 23, 1947

No. 3673]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 2025/SHRAVANA 23, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2025

का.आ. 3775(अ).— जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 7 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा डॉ. चित्रा सरकार सरकार को जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी के संस्थान निकाय के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. जेड.16013/52/2018—आईएनआई.11]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th August, 2025

S.O. 3775(E).—In exercise of powers conferred by Section 7 (1) of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008, the Central Government hereby notifies Dr. Chitra Sarkar as the President of the Institute Body of Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry.

[F. No. Z.16013/52/2018-INI.II]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.